निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

जिला आपूर्ति कार्यालय : मधुबनी

निरीक्षण की तिथि : 04–01–2003

डा० बी० राजेन्दर
भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 4-1-2003 को जिला आपूर्त्ति कार्यालय, मधुबनी का किये गये निरीक्षण का अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

---

(1) परिचय :-

मधुबनी जिला का सृजन वर्ष 1972 के दिसम्बर माह में हुआ तथा जिला आपूर्त्ति कार्यालय वर्ष 1973 से कार्यरत है । जिला आपूर्त्ति कार्यालय समाहरणालय भवन के नीचले मंजिल के कमरा नं०-26 के आधे भाग में कार्यरत है । शेष भाग में जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधुबनी का प्रकोष्ट है । पूर्व में यह कार्यालय समाहरणालय के कमरा नं०-30 (स्थापना) में चलता था ।

मधुबनी जिला में 5 (पांच) अनुमण्डल यथा-सदर मधुबनी/झंझारपुर/बेनीपट्टी/जयनगर एवं फुलपरास है । जिले की कुल आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 35,70,651 है । जिले में कुल 21 प्रखंड है । जिले का क्षेत्रफल 352.66 वर्ग कि०मी० है ।

मधुबनी जिला में गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) जीवन बसर करने वाले परिवारों की संख्या 2,33,352 है जबकि गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) जीवन बसर करने वाले परिवारों की संख्या 2,31,078 है । गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) परिवारों के लिए सरकार से गेहूँ 6690.096 एम० टी० क्विंटल एवं चावल 4460.064 क्विंटल का मासिक आवंटन प्राप्त होता है । इसी प्रकार जिले में अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चयनित कुल परिवारों की संख्या 43,886 है जिन्हें 2/-रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह 21 किलो तथा 3/-रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 14 किलो खाद्यान्न की आपूर्त्ति की जाती है । इसके लिए 921.006 एम० टी० गेहूँ एवं 614.404 एम० टी० चावल का मासिक आवंटन सरकार से प्राप्त होता है । इसके अलावे जिले में अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत चयनित कुल परिवारों की संख्या 8254 है । इन परिवारों को 6 किलो गेहूँ एवं 4 किलो चावल अर्थात कुल 10 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह निःशुल्क आपूर्त्ति की जाती है ।

इसके अतिरिक्त जिले में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत मासिक खाद्यान्न की मात्रा 1041 क्विंटल गेहूँ सरकार से प्राप्त होती है ।

(2) प्रभार :-

मो० गुफरान अहमद, उप समाहर्त्ता दिनांक 30-8-2001 से अधिसूचित जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधुबनी के रूप में कार्यरत हैं । इनसे पूर्व श्री उदय प्रताप सिंह, उप समाहर्त्ता-सह-कार्यपालक दण्डाधिकारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी के प्रभार में थे ।

लगातार....2/-

श्री अवध किशोर मोदी, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, मधुबनी आपूर्त्ति शाखा के वरीय प्रभार में हैं । इनसे पूर्व श्री महेश प्रसाद सिन्हा, अपर समाहर्त्ता, भू-हदबन्दी, मधुबनी जिला आपूर्त्ति शाखा के वरीय प्रभार में थे । श्री पूरन राम, सुपरटाईम प्रवर कोटि सहायक दिनांक 1-7-2001 से कार्यालय अधीक्षक (आपूर्त्ति) के रूप में पदस्थापित हैं । इनसे पूर्व श्री राजेन्द्र पासवान, सुपर टाईप वरीय प्रवर कोटि सहायक, कार्यालय अधीक्षक (आपूर्त्ति) के रूप में पदस्थापित थे । श्री राजेन्द्र पासवान, कार्यालय अधीक्षक (आपूर्त्ति) की असामयिक मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप श्री पूरन राम, कार्यालय अधीक्षक (आपूर्त्ति) का प्रोन्नति कार्यालय अधीक्षक (सामान्य) के रूप में हो गया है और श्री दुःखी राम, प्रधान सहायक, जिला निर्वाचन शाखा को कार्यालय अधीक्षक (आपूर्त्ति) के रूप में प्रोन्नति दी गयी है । श्री हरेराम झा, वरीय प्रवर कोटि सहायक, प्रधान सहायक के रूप में एवं श्री उमाशंकर मेहता एवं श्री ललन कुमार सिंह सहायक के रूप में कार्यरत हैं । निरीक्षण के क्रम में उपस्थित श्री पूरन राम, कार्यालय अधीक्षक (आपूर्त्ति) को निर्देश दिया गया कि चूँकि उनकी प्रोन्नति कार्यालय अधीक्षक (सामान्य) के रूप में हो गयी है, फलस्वरूप वे अपने प्रकोष्ट में बैठकर कार्य सम्पादन करना सुनिश्चित करें ।

मधुबनी जिला में प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी आपूर्त्ति निरीक्षक के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन बल की स्थिति निम्न-प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1-	सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी ।	04	-	04	
2-	प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी	25	03	22	
3-	आपूर्त्ति निरीक्षक	29	07	22	

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी का 04 पद, प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी का 22 पद एवं आपूर्त्ति निरीक्षक का 22 पद रिक्त है । बताया गया कि रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापन हेतु आयुक्त एवं सचिव, खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना को अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 787/आपूर्त्ति, दिनांक 9-10-2002 एवं स्मार पत्रांक 889/आपूर्त्ति, दिनांक 21-11-2002 द्वारा अनुरोध किया गया है । जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जात

लगातार....3/-

है कि पूर्व में भेजे गए पत्र के आलोक में अधोहस्ताक्षरी की ओर से पुनः रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु सरकार को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें ।

इस कार्यालय में स्वीकृत बल के अनुरूप पदस्थापित कर्मियों का नाम/पदनाम/पदस्थापन की तिथि एवं गृहपता निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता	अभ्युक्ति
1-	मो0गुफरान अहमद	जिला आपूर्त्ति पदा0	30-08-2001	ग्राम-शोभवन, जिला-दरभंगा ।	
2-	श्री पूरन राम	कार्यालय अधीक्षक(आ0)	01-07-2001	मुहल्ला-बाबूसाहेब चौक, मधुबनी ।	
3-	श्री हरेराम झा	प्रधान सहायक	02-07-2001	ग्राम-पो0-बलहा, थाना-राजनगर,	
4-	श्री उमा शंकर मेहता	सहायक	18-10-2001	ग्राम-पिरही, बाबूबरही प्रखंड ।	
5-	श्री ललन कुमार सिंह	सहायक	26-11-2002	ग्राम-धनुखी, रहिका प्रखंड ।	
6-	श्री राम नारायण झा	पदवर	18-06-2002	ग्राम-जितवारपुर, रहिका प्रखंड।	
7-	श्री बुन्नी लाल पासवान	अनुसेवक		ग्राम-रांटी, राजनगर प्रखंड ।	जिला भू अर्जन से प्रतिनियुक्त ।

(3) पूर्व निरीक्षण :-

जिला आपूर्त्ति कार्यालय का निरीक्षण पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा उनके नाम के सामने अंकित तिथियों में किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का पदनाम ।	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	17-03-2001	05-07-2001	10-08-2001
2-	समाहर्त्ता, मधुबनी	19-03-1983	19-04-1983	18-05-1983
3-	अपर समाहर्त्ता, मधुबनी ।	28-03-1985	29-04-1985	09-07-1985

लगातार.....4/-

4-	उप निदेशक, खाद्य दरभंगा ।	23-06-1984	25-08-1984	25-01-1985
5-	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी ।	23-03-1987	16-05-1987	12-10-1987

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस कार्यालय का निरीक्षण ऊपर अंकित तिथियों में विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है । उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस कार्यालय का निरीक्षण समाहर्त्ता द्वारा वर्ष 1983 के बाद, अपर समाहर्त्ता, मधुबनी द्वारा वर्ष 1985 के बाद, उप निदेशक, खाद्य, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा वर्ष 1984 के बाद एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा वर्ष 1987 के बाद नहीं किया गया है । बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को अपने प्रशाखा का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना है, जो नहीं किया गया है । जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के तहत नियमानुसार निरीक्षण सुनिश्चित करें ।

सभी निरीक्षी पदाधिकारियों की निरीक्षण टिप्पणी के संधारण हेतु अलग-अलग रक्षी संचिका संधारित किया गया है । निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित रक्षी संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसका संधारण सही ढंग से नहीं किया गया है । रक्षी संचिका में रखे गए पत्रों के लिए प्रथम पृष्ट पर अनुक्रमणिका नहीं बनाया गया है । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण टिप्पणी के प्रथम पृष्ट पर अनुक्रमणी का संधारण सुनिश्चित करें ताकि यह पता चल सके कि अमुक पत्र कहाँ से आया, किस विषय से संबंधित है एवं किस क्रमांक पर रखा गया है ।

उपर्युक्त तालिका में वर्णित अनुपालन की तिथि को देखने से ज्ञात होता है कि बहुत सारे निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इस कार्यालय का किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन विलम्ब से भेजा गया है, जो उचित नहीं है । नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए । यदि निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं होता है तो निरीक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है । जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

लगातार....5/-

(4) पत्राचार :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 8 खण्ड (1) एवं (2) के आलोक में पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की अलग-अलग पंजी संधारित है, जो प्रत्येक पंचांग वर्ष के प्रथम में खोली जाती है । पंजी सही ढंग से संधारित है एवं पंजी के स्तम्भों को भरा गया है । विगत तीन वर्षों में इस कार्यालय में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्नवत है :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या			निर्गत पत्रों की संख्या		
	साधारण	मुख्य	योग	साधारण	मुख्य	योग
1999	447	141	588	531	24	555
2000	405	205	610	577	26	603
2001	259	201	460	843	-	843
2002	1311	-	1311	1045	-	1045

प्राप्त पत्रों की पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रों का संधारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है एवं अनुश्रवण भी नहीं हो रहा है । अतएव पत्राचार पर पकड़ रखने हेतु पाँच प्रकार की पंजी निम्नरूपेण संधारित करने का निर्देश दिया जाता है :-

1- माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/माननीय सांसद/विधायक/विधानसभा/विधान पार्षद प्रश्न/ध्यानाकर्षण से संबंधित प्राप्त पत्र ।
2- , राज्य सरकार/उच्चाधिकारी से प्राप्त पत्र ।
3- आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से प्राप्त पत्र ।
4- अनुमण्डल/प्रखंड/अंचल/तकनिकी पदाधिकारी से प्राप्त पत्र ।
5- आवेदन-पत्रों से संबंधित प्राप्त पत्र ।

(5) कर्मपुस्तिका :-

सभी सहायकों के लिए अलग-अलग कर्मपुस्तिका संधारित है । वर्ष 2002 के कर्मपुस्तिका का अवलोकन किया गया ।

लगातार---6/-

पाया गया कि किसी भी सहायक के कर्मपुस्तिका में मासिक लंबित पत्रों का सारांश अंकित नहीं किया गया है। इससे यह पता नहीं चल पाता है कि किस सहायक के कर्मपुस्तिका में कितने पत्र लंबित चले आ रहे हैं । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि निम्नांकित प्रपत्र में प्रत्येक माह सहायकवार लंबित पत्रों की सूची तैयार किया जाय ताकि यह पता चल सके कि किस सहायक के पास कितने पत्र लंबित हैं :-

प्र प त्र

क्र0	सहायक का नाम	पिछले माह का लंबित पत्रों की संख्या	वर्तमान माह में प्राप्त पत्रों की संख्या	वर्तमान माह में निष्पादित पत्रों की संख्या	कुल लंबित पत्रों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक माह लंबित पत्रों का अनुश्रवण करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे ।

{6} अनुक्रमणी पंजी :-

इस प्रशाखा में वर्णमाला क्रमानुसार अनुक्रमणी पंजी संधारित की गई है, जिसके अनुसार कुल 25 विषयों पर संचिकाएं संधारित हो रही है । संचिकाओं के अवलोकन से पाया गया कि विविध करके संचिका खोली गयी है, जिसे अविलम्ब बन्द करने का निर्देश प्रधान सहायक को दिया गया । उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में विविध करके कोई संचिका नहीं खोली जाय । जिस विषय से संबंधित पत्र/आवेदन-पत्र हो, उसे संबंधित संचिका में संधारित किया जाय ।

{7} कार्य तालिका :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 115 के अनुसार सभी सहायकों के लिए कार्य तालिका संधारित है । सभी सहायकों के बैठने के स्थान के पीछे कार्य तालिका अंकित करते हुए दीवाल पर टांग दिया गया है, जिससे यह पता चल जाता है कि कौन से सहायक किस विषय पर संचिका का निष्पादन करते हैं ।

लगातार..... 7/-

§8§ रक्षी संचिका का संधारण :-

निरीक्षण के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस शाखा में संधारित रक्षी संचिकाओं का अवलोकन किया गया। स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। अधिकांश रक्षी संचिकाओं का बाईंडिंग सही नहीं है, जिसे आकस्मिकता मद से अविलम्ब बाईंडिंग कराने का निर्देश जिला आपूर्त्ति पदा० को दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण संचिका है, जिसमें राज्य सरकारी/आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश/मार्गनिर्देश मार्गदर्शन हेतु चिपकाया जाता है। रक्षी संचिका के प्रथम पृष्ट पर इन्डेक्सिंग भी नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पत्र किस क्रमांक पर एवं किस विषय से संबंधित है। जिला आपूर्त्ति पदा०को निर्देश दिया जाता है कि इसे नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करें। प्रधान सहायक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिला स्तर पर आपूर्त्ति टास्क फोर्स से संबंधित बैठक की कार्यवाही के लिए अलग रक्षी संचिका संधारित करें एवं प्रत्येक माह में आयोजित बैठक की कार्यवाही उसमें चिपकाना सुनिश्चित करें एवं रक्षी संचिका के साथ प्रत्येक माह में आयोजित आपूर्त्ति टास्क फोर्स की बैठक में उपस्थित होवें। इस शाखा में पूर्व के वर्षों में प्राप्त महत्वपूर्ण पत्र, जिन्हें रक्षी संचिका में मार्गदर्शन हेतु चिपकाया गया है, से संबंधित रक्षी संचिका का अवलोकन किया। स्थिति बहुत ही गम्भीर है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त रक्षी संचिकाओं को देखकर महत्वपूर्ण पत्र, जो मार्गदर्शन हेतु सरकार से प्राप्त हुए हैं, की छायाप्रति कराकर सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पुराने रक्षी संचिकाओं को वर्षवार वर्गीकृत कर बाईंडिंग कराकर एवं उस पर लेवलिंग कराकर संधारित करना सुनिश्चित करें।

§9§ पंजियों की पंजी :-

इस प्रशाखा में पंजियों की पंजी संधारित है परन्तु इसमें आवंटन पंजी/लंबित पत्रों की पंजी/विपत्र पंजी आदि संधारित नहीं की गयी है। प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि इसका अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित करें।

§10§ प्रधान सहायक नोट बुक :-

इस प्रशाखा में प्रधान सहायक नोट बुक संधारित नहीं है, जो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। यह एक महत्वपूर्ण पंजी है। बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-117 के अनुसार प्रधान सहायक नोटबुक वर्णमाला क्रमानुसार संधारित किया जाना है। इस पंजी में प्रत्येक दिन के महत्वपूर्ण घटना/पत्रादि के बारे में संक्षिप्त में अंकित किया जाना है, ताकि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निष्पादन

सुनिश्चित किया जा सके । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण अविलम्ब सुनिश्चित करें ।

§11§ प्रतिवेदन एवं विवरणी :-

जिला आपूर्त्ति प्रशाखा द्वारा राज्य सरकार एवं आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन एवं विवरणी से संबंधित तालिका का अवलोकन किया । तालिका बहुत ही छोटे अक्षरों में कूट पर लिखकर चिपकाया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि एक बड़ा कूँट पर अच्छे ढंग से बड़े-बड़े साफ अक्षरों में लिखकर चिपकाना सुनिश्चित करें ।

§12§ उपस्थिति पंजी :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-105 के अनुसार विहित प्रपत्र में दैनिक उपस्थिति पंजी संधारित है । जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि समय-समय पर उपस्थिवति पंजी की जाँच किया करें ।

§12§ आकस्मिक अवकाश पंजी :-

आकस्मिक अवकाश पंजी इस कार्यालय में संधारित है एवं लिये गये अवकाश का विधिवत इन्द्राज किया जाता है ।

§13§ सेवापुस्त :-

बताया गया कि इस शाखा में कार्यरत कर्मचारियों का सेवापुस्त जिला स्थापना शाखा में ही संधारित होता है ।

§14§ भविष्यनिधि पासबुक :-

निरीक्षण के क्रम में प्रधान सहायक ने बताया कि इस कार्यालय में पदस्थापित सहायकों का भविष्य निधि पासबुक जिला स्थापना शाखा द्वारा ही संधारित किया जाता है ।

§15§ विधान सभा/लोक सभा प्रश्न से संबंधित पंजी :-

विधान सभा/लोक सभा प्रश्नों के लिए एक पंजी इस कार्यालय में संधारित है । पंजी का अवलोकन किया गया । प्रधान सहायक को निर्देश दिया गया कि लंबित पत्रों का निष्पादन अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय ।

लगातार.....9/-

(16) चपरासी बही :-

इस कार्यालय में चपरासी बही विहित प्रपत्र में संधारित है ।

(17) जन वितरण प्रणाली विक्रेता :-

इस जिला में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की कुल संख्या 1687 है । प्रखंडवार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की संख्या निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	अनुमण्डल/प्रखंड का नाम	जन वितरण प्रणाली वि० की कुल संख्या	वर्गवार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की संख्या					
			सामान्य	अनु०जाति	अनु०जनजा०	अल्पसंख्या	महिला	सहयोगसमिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सदर अनुमण्डल								
1-	मधुबनी शहर सहित एवं मंगरौनी सहित	77	51	13	-	9	4	-
2-	रहिका	77	47	20	-	10	-	-
3-	राजनगर	76	56	16	-	2	2	-
4-	पण्डौल	89	58	18	-	11	2	-
5-	खजौली	85	51	25	-	7	1	1
6-	बाबूबरही	79	47	27	-	4	1	-
	योग :-	483	310	119	-	43	10	1
झंझारपुर अनुमण्डल								
7-	झंझारपुर	105	72	21	-	7	1	4
8-	लखनौर	66	48	10	-	5	3	-
9-	मधेपुर	99	66	20	-	10	3	-
10-	अंधराठाढ़ी	68	31	21	-	11	4	1
	योग :-	338	217	72	-	33	11	5
बेनीपट्टी अनुमण्डल								
11-	बेनीपट्टी	122	95	21	-	4	2	-
12-	बिस्फी	129	55	11	-	60	3	-

लगातार...10/-

13-	हरलाखी	46	33	9	-	3	1	-
14-	मधवापुर	59	46	8	-	5	-	-
	योग :-	356	229	49	-	72	6	-
जयनगर अनुमण्डल								
15-	जयनगर	87	62	17	-	6	1	1
16-	बासोपट्टी	56	41	14	-	-	1	-
17-	लदनियाँ	66	47	16	-	2	1	-
	योग :-	209	150	47	-	8	3	1
फुलपरास अनुमण्डल								
18-	फुलपरास	63	50	10	-	2	1	-
19-	घोघरडीहा	77	58	15	-	2	2	-
20-	खुटौना	76	44	22	-	8	1	1
21	लौकही	85	58	17	-	6	4	-
	योग :-	301	210	64	-	18	8	1
	जिला योग :-	1687	1116	351	-	174	38	8

(18) लाल कार्ड/राशन कार्ड :-

गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों की पहचान कर उन्हें लाल/राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु सरकार से 2,87,000(दो लाख सतासी हजार) लाल राशन कार्ड प्राप्त हुआ था । तदनुसार जिले में 2,74,964(दो लाख चौहत्तर हजार नौ सौ चौंसठ) गरीबी रेखा से नीचे(बी०पी०एल०) परिवारों की पहचान कर लाल राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया तथा शेष 12036(बारह हजार छत्तीस) लाल राशन कार्ड जिला में सुरक्षित रखा हुआ है । मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 3803 दिनांक 4-9-2000 से प्राप्त निदेश के आलोक में जिले में पाँच प्रक्रिया के अभियान चलाकर अयोग्य व्यक्तियों के बीच वितरित लाल राशन कार्ड को रद्द कर उनके स्थान पर छूटे हुए सुपात्र बी०पी०एल० परिवारों की पहचान कर उन्हें लाल राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जिसके संबंध में प्रखंडवार विवरणी निम्नवत है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	प्रखंड में उपलब्ध कराये गये लाल राशन कार्ड संख्या		सत्यापन के उपरान्त रद्द लाल राशन कार्ड की संख्या
1-	2	3		4
1-	बेनीपट्टी	21342	-	537
2-	बिस्फी	17683	-	167
3-	हरलाखी	11016	-	356
4-	मधवापुर	8079	-	99
5-	बाबूबरही	13304	-	246
6-	खजौली एवं कलुआही	16324	-	344
7-	पण्डौल	16909	-	104
8-	राजनगर	15928	-	244
9-	रहिका	15641	-	92
10-	मधुबनी शहर	3966	-	90
11-	फुलपरास	8828	-	69
12-	घोघरडीहा	9775	-	-
13-	घोघरडीहा अधिसूचित क्षेत्र	1114	-	-
14-	कुटौना	11494	-	207
15-	लौकही	11316	-	227
16-	जयनगर	11217	-	308
17-	जयनगर अधिसूचित क्षेत्र	1964	-	22
18-	बासोपट्टी	11147	-	127
19-	लदनियाँ	10574	-	192
20-	झंझारपुर	10800	-	123
21-	झंझारपुर अधिसूचितक्षेत्र	2245	-	34
22-	मधेपुर	17914	-	1727
23-	लखनौर	12678	-	593
24-	अंधराठाढ़ी	13506	-	324
	कुल योग :-	274964	-	6234

लगातार...12/-

इस प्रकार इस कार्रवाई के तहत अब तक 6234 अयोग्य बी0पी0एल0 परिवारों का लाल कार्ड रद्द कर उनके स्थान पर छूटे हुए योग्य बी0पी0एल0 परिवारों की पहचान कर लाल राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है । इस बीच आयुक्त एवं सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1505 दिनांक 1-4-2002 द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का पुनः सर्वेक्षण कर लाल राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और वर्ष 2001 के जनगणना के आधार पर मधुबनी जिला कुल जनसंख्या 35, 70, 651 के विरूद्ध गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने हेतु इस जिला के लिए 3, 18, 576 लक्ष्य प्राप्त हुआ । तदनुसार कार्यालय पत्रांक 534/आपूर्ति दिनांक 27-4-2002 द्वारा जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशानुसार मार्गदर्शन देते हुए प्रखंडवार निम्नरूपेण लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है :-

क्रमांक	प्रखंड/अधिसूचित क्षेत्र समिति का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी ।		गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वेक्षित परिवार की संख्या ।
1	2	3		4
1-	रहिका	192115	-	17290
2-	मधुबनी शहर	66285	-	5965
3-	पण्डौल	218274.	-	19144
4-	राजनगर	199322	-	17488
5-	खजौली	110874	-	9978
6-	कलुआही	96709	-	8703
7-	बाबूबरही	173752	-	15637
8-	जयनगर	133276	-	11994
9-	जयनगर अधिसूचित क्षेत्र	19493	-	2040
10-	बासोपट्टी	135017	-	12151
11-	लदनियाँ	137290	-	12356
12-	बेनीपट्टी	185087	-	24657
13-	बिस्फी	261118	-	22600

लगातार.....13/-

14-	हरलाखी	151241	-	13611
15-	मधवापुर	113249	-	10192
16-	झंझारपुर	138404	-	12456
17-	झंझारपुर अधिसूचित क्षेत्र	24102	-	2500
18-	मधेपुर	217494	-	19037
19-	लखनौर	134023	-	13012
20-	अंधराठाढ़ी	146788	-	14006
21-	घोघरडीहा	142745	-	12847
22-	घोघरडीहा अधिसूचित क्षेत्र	14523	-	1307
23-	लौकही	162194	-	13647
24-	बुटौना	167257	-	14257
25-	फुलपरास	130019	-	11701
	कुल योग :-	3570651	-	318576

इस प्रकार प्रखंड स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान प्रक्रिया जारी है, जो शीघ्र ही सम्पन्न हो जायेगी । बी0पी0एल0 परिवारों के लिए खाद्यान्न का आवंटन -उठाव एवं वितरण संबंधी विगत तीन माहों का विवरणी निम्नवत है :-

माह का नाम	आवंटन (क्विंटल में)		उठाव (क्विंटल में)		वितरण (क्विंटल में)	
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
अगस्त, 2002	49499.00	33002.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 2002	49499.00	33002.00	25184	9162	7000	1000
अक्टूबर, 2002	49499.00	33002.00	6035	12572	6000	1500

(19) अन्त्योदय अन्न योजना :-

अन्त्योदय अन्न योजना सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2001 से लागू की गयी है । इस योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार

लगातार... 14/-

की कुल संख्या का 15.33 प्रतिशत के हिसाब से निर्धनतम परिवारों का चयन किया गया है, जिसके तहत इस जिला में कुल लाभान्वितों की संख्या 43886 है । इस योजनान्तर्गत लाभान्वितों को सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप 3.00 रूपये प्रति किलो की दर से 21 किलो गेहूँ एवं 2.00 रूपये प्रति किलो की दर से 14 किलो चावल प्रति माह दिया जाता है । प्रखंडवार अन्त्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों की संख्या निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	प्रखंड का नाम		लक्षित अन्त्योदय परिवारों की संख्या
1-	बेनीपट्टी	-	3406
2-	बिस्फी	-	2823
3-	हरलाखी	-	1758
4-	मधवापुर	-	1290
5-	बाबूबरही	-	2124
6-	खजौली	-	1391
7-	कलुआही	-	1214
8-	पण्डौल	-	2699
9-	राजनगर	-	2113
10-	रहिका-मंगरौनी	-	439
11-	रहिका	-	2496
12-	मधुबनी शहर	-	633
13-	फुलपरास	-	1409
14-	घोघरडीहा	-	1560
15-	घोघरडीहा अधिसूचित क्षेत्र ।	-	178
16-	खुटौना	-	1834
17-	लौकही	-	1806
18-	लदनियाँ	-	1688

लगातार.... 15/-

19-	जयनगर	-	1790
20-	जयनगर अधिसूचित क्षेत्र	-	314
21-	बासोपट्टी	-	1779
22-	झंझारपुर	-	1724
23-	झंझारपुर अधिसूचित क्षेत्र	-	390
24-	मधेपुर	-	2859
25-	लखनौर	-	2024
26-	अंधराठाढ़ी	-	2155
	कुल योग :-	-	43886

अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन/उठाव एवं वितरण संबंधी प्रतिवेदन विगत तीन माहों का निम्नप्रकार है :-

माह का नाम	आवंटन		उठाव		वितरण	
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
अगस्त, 2002	9216.06	6144.04 -	शून्य	6144.4	शून्य	शून्य
सितम्बर, 2002	9216.06	6144.04	शून्य	शून्य	3500.00	2200.00
अक्टूबर, 2002	9216.06	6144.04	2512.00	शून्य	5000.00	2300.00

प्रखंडवार ए०पी०एल० एवं बी०पी०एल० परिवारों की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-"क" पर अवलोकनीय.

§20§ अन्नपूर्णा योजना:-

यह योजना भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत प्रायोजित योजना है । इस योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के निर्धन, निःसहाय व्यक्ति, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वंचित हो, को प्रति माह 10 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है । योजना अप्रील, 2000 से लागू है । इस योजना के अन्तर्गत माह अप्रील, 2002 से सितम्बर, 2002 तक आवंटन, उठाव, वितरण निम्नप्रकार

लगातार....16/-

आवंटित खाद्यान्न (क्विंटल में)		खाद्यान्न का उठाव (क्विंटल में)		खाद्यान्न का वितरण (क्विंटल में)	
गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
2971.44	1980.96	2439.72	1622.58	1967.40	1464.32

(21) जागृत शिविर योजना :-

भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्रांक 12011/3/2002, दिनांक 11-6-2001 के क्रम में (उप प्रबंधक (भंडारण), भारतीय खाद्य निगम, पटना के पत्रांक 935 दिनांक 22-1-2002 एवं बिहार सरकार खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभागीय पत्रांक 5420 दिनांक 24-12-2001 द्वारा मधुबनी जिला को जागृत शिविर योजना कार्यक्रम के तहत चयनित किया गया है। तद्नुसार मधुबनी जिले में जागृत शिविर योजना के आयोजन हेतु प्रपत्र-ए, प्रपत्र-ए1 एवं बंधपत्र में अनुदान विमुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है।

(22) किरासन तेल :-

इस जिला में किरासन तेल का आवंटन 3024 के0एल0 है। थौक किरासन तेल विक्रेताओं के माध्यम से किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं/हॉकर के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है। जिला में कुल 14 थौक किरासन तेल विक्रेता कार्यरत हैं, जिसका आवंटन एवं सम्बद्ध क्षेत्र तथा थौक बिक्री दर निम्नरूपेण है :-

क्र0	किरासन तेल थौक विक्रेता का नाम	मासिक आवंटन (के0एल0में)	सम्बद्ध क्षेत्र का नाम	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा	थौक बिक्री दर
1	2	3	4	5	6
1-	मे0 लक्ष्मी महतो रामचन्द्र प्रसाद, सकरी।	204	1- पण्डौल	47841	
			2- झंझारपुर	100098	9.25 प्रति ली0
			3- लखनौर	44121	
			4- दरभंगा जिला	9900	

लगातार.....17/-

2-	मे0 लक्ष्मी महतो रामचन्द्र प्रसाद, राजनगर ।	192	1- पण्डौल	32173	9.29 प्रति लीटर ।
			2- बाबूबरही	70331	
			3- अंधराठाढ़ी	87576	
3-	मे0 एल0एन0 प्रसाद एंड को0 झंझारपुर ।	252	1- झंझारपुर	17927	9.27 प्रति लीटर ।
			2- मधेपुर	12050	
			3- लखनौर	67885	
			4- अंधराठाढ़ी	32173	
			5- झंझारपुर अ0क्षेत्र	39475	
			6- फुलपरास	80000	
4-	मे0 रिख्याल खंडेवाल, मधुबनी	252	1- मधुबनी शहर	36460	9.27 प्रति लीटर ।
			2- राजनगर	92599	
			3- रहिका	93391	
			4- राँटी-मंगरौनी	27030	
5-	मे0 शौखी पूर्वे बलदेव पूर्वे, मधुबनी ।	192	1- मधुबनी शहर	36460	9.27 प्रति लीटर ।
			2- रहिका	67184	
			3- पण्डौल	86436	
6-	मे0 मिथिला स्टोर्स, मधुबनी	240	1- मधुबनी शहर	36460	9.27 प्रति लीटर
			2- राजनगर	47616	
			3- खजौली	71018	
			4- बाबूबरही	41975	
			5- बासोपदटी	40031	
			6- सुरक्षित	500	
7-	मे0 लक्ष्मी महतो रामचन्द्र प्रसाद, मधुबनी ।	240	1- मधुबनी शहर	36460	9.27 प्रति लीटर
			2- बेनीपदटी	179816	
			3- बासोपदटी	21324	

लगातार.... 18/-

8- मे0 लक्ष्मी ना0 राम, चिरूफी ।	216	1- बेनीपट्टी	29800	
		2- चिरूफी	184040	9.30 प्रति लीटर ।
9- मे0 कुँवर झा, पचही, मधेपुर	144	1- मधेपुर	142560	9.29 प्रति लीटर ।
10- मे0 लक्ष्मी ना0 बैधनाथ, खुटौना ।	216	1- बाबूबरही	5000	
		2- लौकही	21366	9.38 प्रति लीटर ।
		3- खुटौना	128405	
		4- लदनियाँ	59069	
11- मे0 देवत ना0 सिंह, जयनगर	252	1- खजौली	10000	
		2- जयनगर अ0क्षेत्र	26339	9.30 प्रति लीटर ।
		3- बासोपट्टी	50995	
		4- लदनियाँ	50246	
		5- जयनगर	111900	
12- मे0 मोहन आयल डिस्ट्रीब्यूटर्स, बेनीपट्टी ।	240	1- बेनीपट्टी	28444	
		2- मधवापुर	88486	9.34 प्रति लीटर ।
		3- हरलाखी	120655	
13- मे0 ओमकार मल, सत्य ना0, घोघरडीहा ।	252	1- फुलपरास	18678	
		2- लौकही	103549	9.42 प्रति लीटर ।
		3- घोघरडीहा	108110	
		4- घोघरडीहा अ0क्षे0	19143	
14- मे0 बालाजी एजेन्सी, खजौली	132	1- खजौली	100000	
		2- बाबूबरही	30680	9.28 प्रति लीटर ।

लगातार.... 19/-

(23) चीनी :-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लेवी चीनी का आवंटन माह नवम्बर, 2002 में बी०पी०एल० परिवारों के उपभोक्ताओं के बीच लाल कार्ड/ अंतोदय कार्ड पर वितरण हेतु पर्व के लिए 849 क्विंटल एवं मासिक चीनी हेतु 9052 क्विंटल कुल 9901 क्विंटल प्राप्त हुआ, जिसे प्रखंडवार/अधिसूचित क्षेत्रवार उपावंटित किया जा चुका है ।

बताया गया कि पूर्व में लेवी चीनी का व्यापार भारतीय खाद्य निगम से थोक चीनी विक्रेताओं के माध्यम से होता था, किन्तु जनवरी, 2000 के प्रभाव से सरकारी निर्णयानुसार इस व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है । अब भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम द्वारा चीनी का उठाव करने के उपरान्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा चीनी का उठाव नियमानुसार करने का प्रावधान है ।

(24) थोक विक्रेता:-

इस जिला में मद वार थोक विक्रेताओं की संख्या निम्नप्रकार है :-

1- खाद्यान्न	-	41
2- किरासन तेल	-	14
3- चीनी	-	26
4- कपड़ा	-	13
कुल :-		94

बताया गया कि सभी थोक विक्रेताओं की अनुज्ञाप्ति वर्ष 2002 तक के लिए नवीकृत है ।

(25) धान/चावल अधिप्राप्ति :-

विपणन वर्ष 2002-2003 के लिए धान/चावल खरीद की अधिप्राप्ति हेतु सरकार के निर्णयानुसार भारतीय खाद्य निगम, जयनगर डी०पो में क्रय की व्यवस्था की गयी है । इस कार्रवाई के तहत अधिप्राप्ति की प्रचार-प्रसार हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को कार्यालय पत्रांक 918 दिनांक 27-11-2002 के द्वारा सूचित किया जा चुका है । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अबतक धान/चावल प्रगति शून्य है

लगातार...20/-

§26§ अंकेक्षण :-

जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधुबनी ने निरीक्षण के क्रम में बताया कि वर्ष 66-67 एवं 68 का अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के स्तर पर काफी दिनों से लंबित है। इस हेतु कई स्मार भी दिये गये हैं, परन्तु स्थिति यथावत है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को अधोहस्ताक्षरी की ओर से भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप तुरत प्रस्तुत किया जाय।

§27§ आपूर्त्ति से संबंधित राज्यसात§कन्फीसकेट§ का मामला :-

निरीक्षण के क्रम में महसूस किया गया कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आपूर्त्ति से संबंधित राज्यसात का मामला जिला विधि शाखा से प्रस्तुत किया जाता है, जो उचित नहीं है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि आपूर्त्ति से संबंधित राज्यसात का मामला जिला आपूर्त्ति शाखा से ही संचालित किया जाय।

§28§ जिला आपूर्त्ति शाखा का रोकड़ बही :-

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपूर्त्ति शाखा का रोकड़ बही जिला नजारत प्रशाखा में संधारित किया जाता है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आपूर्त्ति शाखा से संबंधित रोकड़ बही का संधारण जिला आपूर्त्ति शाखा में ही किया जाय।

§29§ निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस कार्यालय का कार्यकलाप पूर्णरूपेण संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। मुख्य रूप से पंजियों एवं संचिकाओं के रख-रखाव एवं कार्यालय सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी कर्मियों को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का समय-सीमा के अन्दर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

लगातार....21/-

इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का यदि समय-सीमा के अन्दर अनुपालन किया जाता है, तो निश्चित रूप से कार्यालय कार्य में गुणात्मक सुधार हो सकता है।

ह0/-डी0बी0राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञाप संख्या 264 । जिला आपूर्त्ति, मधुबनी, दिनांक 21 ~~फरवरी~~ मार्च, 2003 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपूर्त्ति शाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

DBRajendra
18.3.2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

परिशिष्ट-"क"

प्रखंडवार ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय परिवार/अन्नपूर्णा परिवार की विवरणी ।

क्रमांक	प्रखंड का नाम	कुल परिवार	ए०पी०एल० परिवार	बी०पी०एल० परिवार	अन्त्योदय परिवार	अन्नपूर्णा परिवार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	बाबूबरही	25585	12281	11180	2124	398	
2-	खजौली/कलुआही	31392	15068	13719	2605	260, 246=506	
3-	राजनगर	29305	13377	13386	2124	489	
4-	पंडौल	29165	12256	14210	2699	533	
5-	रहिका	28156	12515	13145	2496	606	
6-	मधुबनी शहर	15240	11274	3333	633	-	
7-	बेनीपट्टी	41757	20415	17936	3406	672	
8-	बिस्फी	34005	16322	14860	2823	573	
9-	हरलाखी	21188	10172	9258	1758	344	
10-	मधवापुर	15537	7458	6789	1290	251	
11-	फुलपरास	17257	8429	7419	1409	332	
12-	घोघरडीहा	18900	9125	8215	1560	389	
13-	घोघरडीहा अधिसूचित क्षेत्र	2147	1033	936	178	-	
14-	खुटौना	22379	10885	9660	1834	373	
15-	लौकही	21821	10505	9510	1806	366	
16-	जयनगर	19648	8431	9427	1790	361	
17-	जयनगर अधिसूचित क्षेत्र	3624	2460	850	314	-	
18-	बासोपट्टी	19514	8367	9368	1779	318	
19-	लदनियाँ	18949	8375	8886	1688	307	

लगातार.... 2/-

20-	झंझारपुर	20724	9924	9076	1724	320
21-	झंझारपुर अधिसूचित क्षेत्र	4710	2465	1855	390	-
22-	मधेपुर	26730	8816	15055	2859	455
23-	लखनौर	19627	6949	10654	2024	322
24-	अंधराठाढी	20952	7446	11351	2155	351
	योग :-	508312	233352	231078	43886	8254

x x x x x x x x x